[11/8/2021]

प्रश्न सं. [क्र 911]

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 911

परिशिष्ट "अ एवं ब"

नक्शा फार्म बी. १

बी. (1) किस्तबंदी खतौनी आसामीवार बावत वसूल रकूमात रैयतवार

ग्राम कुल हरदा   परगना हरदा   जिला हरदा   सन 2020-21

सिलसिलेवार नंबर खाते में	कृषक का नाम पिता का नाम और जाति	खाते की कैफियत चालू मतालबा और रकबा: शामिलित प्रत्येक सर्वे नं की संख्या	प्रत्येक सर्वे नं. का रकबा और खाते का विवरण	आशिकाओं का विवरण	भू आगम जमा	अन्य कर	योग	वसूल: खजाने में जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	भू-आगम (जमा)	अन्य कर	योग	खजाने में जमा करने का विवरण: खजाने में जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान नं.	[illegible]: भू आगम जमा	अन्य कर	योग	[illegible]: भू आगम जमा	अन्य कर	योग	वसूली के लिये कार्यवाही
4918	[illegible] पटेल गणेशप्रसाद प्रकाशचंद, रोशन पि. गणेशप्रसाद जोशी (पा. हरदा परि० अ०-)	192 265	0.222 0.208	II	3330-00 3100-00		3330-00 -3100-00						न्याय [illegible] 19-20 में [illegible] 18/8/2023 [illegible]									

[illegible signature]

[signature] 23/7/21
राजस्व निरीक्षक
डायवर्सन, हरदा

Attested
[signature]

[signature]
अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
राजस्व विभाग (शाखा -

ता०प्रक०-91 परिशिष्ट - अ

27

न्यायालय तहसीलदार, हरदा, जिला हरदा

प्रकरण कमांक 2125/अ-06/2019-20

RCMS No 2125/अ-06/2019-20

ग्राम :- कुलहरदा ।

आवेदक :- श्रीमती लक्ष्मी पाराशर पुत्री गणेश प्रसाद जोशी पत्नि मोहनलाल जी पाराशर निवासी गंधवानी, जिला धार एवं अनिता शर्मा पुत्री गणेश प्रसाद जोशी, निवासी बैतूल तथा शुभम शर्मा पिता श्री शिवशंकर शर्मा, निवासी सीहोर ।

बनाम

अनावेदकः- सर्वसाधारण ।

-:: आदेश ::-

(अन्तर्गत म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109-110)

(पारित दिनांक 19/06/2020)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण श्रीमती लक्ष्मी पाराशर पुत्री गणेश प्रसाद जोशी पत्नि मोहनलाल जी पाराशर निवासी गंधवानी, जिला धार एवं अनिता शर्मा पुत्री गणेश प्रसाद जोशी, निवासी बैतूल तथा शुभम शर्मा पिता श्री शिवशंकर शर्मा, निवासी सीहोर सभी के संयुक्त हस्ताक्षर से एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कुलहरदा की परिवर्तित भूमि ख0नं0 192/4 रकबा 4.84 एकड में से विकय करने के उपरान्त शेष बची भूमि ख0नं0 192/265 रकबा 0.222 हे0 वर्तमान राजस्व अभिलेख में रूखमणी पत्नि गणेश, प्रकाशचंद्र, दीपक आ0 गणेश प्रसाद जोशी निवासी हरदा के संयुक्त नाम से दर्ज है। सहखातेदार श्रीमती रूखमणी जोशी पत्नि गणेश प्रसाद जोशी की मृत्यु दिनांक 21.6.2007 को हो गई है। भूमिस्वामिनी के द्वारा एक वसीयतनामा उनके जीवनकाल में दिनांक 15.11.2006 को 2 गवाहों की उपस्थिति में तैयार कराकर उप पंजीयक हरदा के समक्ष पंजीयन कराया था। वसीयतनामा के अनुसार उपरोक्त भूमि में से 30x50 = 1500 वर्गफुट का भूखण्ड वसीयतकर्ता की मृत्यु होने पर आवेदकगण के नाम से दिये जाने का लेख किया गया है। वसीयतकर्ता की मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर वसीयतनामा के आधार पर उक्त भूखण्ड का नामान्तरण करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज कर विधिवत ईश्तहार जारी किया गया। नियत अवधि तक कोई आपत्ति प्राप्त होना नहीं पाया गया है। राजस्व निरीक्षक, डायवर्सन, हरदा से उक्त भूमि एवं आवेदकगण के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया है। राजस्व निरीक्षक डायवर्सन के प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त भूमि वर्तमान में ख0नं0 192/265 में रकबा 0.222 हे0 रूखमणी पत्नि गणेश, प्रकाशचंद्र, दीपक आ0 गणेश प्रसाद जोशी निवासी हरदा के नाम से दर्ज है। रूखमणी पत्नि गणेश प्रसाद की मृत्यु हो चुकी है। आवेदकगण द्वारा वसीयतनामा के आधार पर 1500 वर्गफुट का नामान्तरण चाहते है।

प्रकरण में वसीयतनामा के दोनों गवाहों को समक्ष में सुना गया है। दोनों के शपथपूर्वक कथन अंकित कराये गये है। दोनों गवाहों ने वसीयतनामा की पुष्टि करते हुये वसीयतनामा उनकी उपस्थिति में पूर्ण होश-हवाश में वसीयतकर्ता द्वारा तैयार करने की पुष्टि की गई है और वसीयतनामा के अनुसार आवेदकगण के संयुक्त नाम से 30x50 = 1500 वर्गफुट परिवर्तित भूखण्ड दिये जाने का उल्लेख वसीयतनामा में किये जाने का लेख किया गया है। वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर की पुष्टि की गई । आवेदन पत्र के अनुसार वसीयतनामा में उल्लेखित भूखण्ड आवेदकगण को प्राप्त होने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो आवेदकगण के नाम से नामान्तरण किया जाना उचित होना बताया गया है।

आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तथ्यों, दस्तावेजों, एवं हितबद्ध पक्षकारों के शपथपूर्वक कथनों, राजस्व निरीक्षक डायवर्सन हरदा के प्रतिवेदन के आधार पर तथा ईश्तहार के दौरान भी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से यह प्रतीत होता है कि श्रीमती रूखमणीबाई जोशी पत्नि गणेश प्रसाद जोशी ने एक पंजीकृत वसीयतनामा जो दिनांक 15.11.2006 को तैयार करांया गया है, जिसके

....2....

True Copy

अनुसार आवेदकगण के पक्ष में 30x50 = 1500 वर्गफुट परिवर्तित भूखण्ड ग्राम कुलहरदा की ख0नं0 192/265 रकवा 0.222हे0 में से वसीयतकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में प्राप्त होना है। वसीयतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है। वसीयतनामा की पुष्टि गवाहों की सुनवाई एवं कथनों से की गई है। वसीयतनामा के आधार पर आवेदकगण के संयुक्त नाम से उक्त भूखण्ड का नामान्तरण करने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वसीयतग्रहिता वसीयतकर्ता की पुत्री होकर वैध वारसान भी है। अतः म0प्र0 भू-रा0सं0 1959 की धारा 1959 की धारा 109, 110 के तहत उक्त भूमि पर मृतका श्रीमती रूखमणी पत्नि गणेशप्रसाद के हिस्से में से वसीयतनामा के आधार पर उक्त भूमि में से 30x50 = 1500 वर्गफुट आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी पाराशर पुत्री गणेश प्रसाद जोशी पत्नि मोहनलाल जी पाराशर निवासी गंधवानी, जिला धार एवं अनिता शर्मा पुत्री गणेश प्रसाद जोशी, निवासी बैतूल तथा शुभम शर्मा पिता श्री शिवशंकर शर्मा, निवासी सीहोर का नाम संयुक्त रूप से दर्ज कर नामान्तरण करने का आदेश पारित किया जाता है।

राजस्व निरीक्षक,डायवर्सन, हरदा आदेश के पालन में तत्काल रिकार्ड दुरूस्त करें। संशोधित प्रविष्टि की एक प्रति प्रकरण में संलग्न करने हेतु 3 दिवस में प्रस्तुत करेंगे ।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकण कराया गया । मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से आज दिनांक 19/08/2020 को पारित किया गया ।

True Copy

19/8/2020

(विंकी सिंहमारे)

तहसीलदार

हरदा जिला हरदा